न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

बिजली पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–केपमाको न0 40P
केपबेडो न0 41P

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख...जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 35/2019–20

आदेशकी कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारी सहित
1	2	3
8.8.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 533/रा0 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा मौजा– केपमाके न0 40P केपबेडो न0 41P के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– केपमाको न0 40P केपबेडो न0 41P में प्रधान बहाली हेतु ग्राम–बेकचुरी में दिनांक 29.01.2015 को श्री बिजली पाहडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री बिजली पहाडिया पिता–स्व0 गुहिया पहाडिया, ग्राम– केपबेडो, को मौजा– केपमाके न0 40P केपबेडो न0 41P में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– केपमाको न0 40P केपबेडो न0 41P बेचिरागी मौजा है। जिसके रैयत के वारिसान अगल–बगल के ग्रामों में निवास करते हें। उक्त मौजा प्रधानी मौजा है। जिसमें प्रधान का पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बिजली पहाडिया, पिता–स्व0 गुहिया पहाडिया, ग्राम–केपबेडो, थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री बिजली पहाडिया खतियानी रैयत बिका मांझी के छरपोता है। पूर्व से ही रैयतों के बीच ग्राम स्तर पर कार्य करते है। अतएव श्री बिजली पहाडिया प्रधान बनने योग्य है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री बिजली पहाडिया को मौजा– केपमाके न0 40P केपबेडो न0 41P में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। ज्ञापांक 370/प्र0 दिनांक 8.8.19 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	